अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा पत्रांक -2330/77-10-9(एम) /08 टी सी, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 उ0 प्र0 शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग को प्रेषित।

कार्यालय -ज्ञाप

प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने एवं स्थापित हो रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों /नियमों /संस्थाओं के स्तरों से स्वीकृतियां /अनुमतियां / अनापत्तियां / प्रमाण पत्रों आदि को निर्गत करने हेतु शासनादेश संख्या 1022 / 77 - 6 -2009/08 दिनांक 4 जून,2009 के द्वारा ' निवेश मित्र ' व्यवस्था लागू की गई थी। निवेश मित्र व्यवस्था का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग / अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, औद्योगिक विकास विभाग / संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - संयोजक
3. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ. प्र. - सदस्य
4. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड - सदस्य
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, - सदस्य
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. - सदस्य
7. आयुक्त, आबकारी, उ.प्र. - सदस्य
8. निदेशक, कारखाना, उ.प्र. - सदस्य
9. श्रमायुक्त, उ.प्र. - सदस्य
10. महानिरीक्षक, अग्नि शमन, उ.प्र. - सदस्य
11. निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ.प्र. - सदस्य
12. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ.प्र. - सदस्य
13. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उ.प्र. - सदस्य
14. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उ.प्र. - सदस्य

उपरोक्त समिति बैठक प्रत्येक माह 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ स्थित उद्योग बन्धु के सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी, जिसमें समस्त सदस्य अपने विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ भाग लेगें।